

**कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर**  
**पत्रांक:सा0-4873 / मी0क्षे0 / 33/ दिनांक, मीरजापुर,मई 15-2019**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय- जनपद-मीरजापुर में 132 के0वी0 मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव।

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग का पत्र संख्या 3667/मी0/दिनांक 18.03.2019 एवं पत्रांक 4418/मीरजापुर/दिनांक 07.05.2019

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर ने अपने कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद-मीरजापुर के 132 के0वी0 मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव जिसकी ऑन लाइन संख्या एफपी/यूपी/ट्रान्स/22021/2016 है मय संस्तुति सहित 04 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव इस स्तर से ऑन लाइन सबमिशन कर तीन प्रतियों में एतदसह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर।

संख्या 4873 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में जब तक भारत सरकार/शासन स्तर से अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक किसी भी दशा में गैर वानिकी कार्य न होने पावे, अन्यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर।

### भाग - 3

(मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए)

|    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | स्थल जहाँ वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रश्नों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | नहीं।                                                                                                |
| 15 | क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।                                                                                               | हाँ।                                                                                                 |
| 16 | प्रस्ताव के स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।                                                                               | प्रस्तावित वन संरक्षक की निरीक्षण<br>सूचना की गयी संतुष्टि है सहमत<br>अनुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित। |

तिथि : 13-5-2019

स्थान : जीवापुर

हस्ताक्षर

**मुख्य वन संरक्षक**  
जीवापुर क्षेत्र  
राजपुर